

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

रुग्नालाल बगाम मोहन

किस्म मुकदमा ..... ताद ..... नं० 02 ..... सन् 2018

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1-18	<p>चाद / प्रार्थनापत्र बाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 16-2-18 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p>	
16-2-18	<p>पत्रावली पेश हुई तकील चाली इपस्थित । अतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए जिनो शामिल पत्रावली किये गये । अतिवादी सं. 1 की डोर से अधिकार पत्र श्री अशोक कुमार मोत्रिय ने पेश किया जिते शामिल पत्रावली किया गया । अतिवादी सं. 1 की डोर से जवाबदारी हेतु पत्रावली दिनांक 23-3-18 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
23-3-18	<p>उपपक्ष उपस्थित पीछरीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 23-3-18 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> रीजर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
3-5-18	<p>उपखण्ड अदालत पत्रावली आज माण्डल लोक न्याय आयोग डोर 2018 में उपस्थित हुई। वादी एवं पालिका उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया कि आराधना नम्बर 704 में से 0.07 बीघा कडा वाली जमिन दुरगम लाल के मोहन पिता पीसा जाट दर्ज करवा देगा तथा इस वाणीनाम</p>	

दिनांक

हुवम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

के आधार पर प्रकरण में किसी  
अन्य प्रकार कार्यवाही नहीं चाहते का  
आपली सम्मतीला है जार्ने से प्रकरण  
में सम्मतीला अनुसार डिफ्री जारी किये  
जार्ने का उन्हेका दिया जाला है  
पलावली के सल शमार होकर नम्बर  
से कम है। निरुधि सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल